प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद, नौवी मंजिल, "डी" ब्लॉक
Office of the Principal Chief Commissioner of Income Tax, 9th Floor, "D" Block
आयकर शिखर, ए.सी. गार्डस, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
IT Towers, AC Guards, Hyderabad, Andhra Pradesh

फा.सं. 7(3) प्रकरराभाकास/प्र.मु.आ.आ./हैद/2021-22 दिनांक:16-11-2021.

सेवा में,

1. मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद
2. मुख्य आयकर आयुक्त, (आरईएफएसी), विशाखापट्टणम/ विजयवाड़ा
3. आयकर महानिदेशक (अन्वे.), हैदराबाद
4. प्रधान आयकर आयुक्त 1 व 4, हैदराबाद
5. आयकर आयुक्त (ऑडिट)/ (टीडीएस), हैदराबाद
6. आयकर आयुक्त आइटीएटी- (ए), (बी) बेंच, हैदराबाद/ विशाखापट्णम
7. सभी आयकर आयुक्त अपील यूनिट, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र, हैदराबाद

विषय: राजभाषा हिंदी से संबंधित रजिस्टर के रखरखाव के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली की दिनांक 24.09.2021 को आयोजित 114वीं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आंध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र के सभी कार्यालय प्रधानों को राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित एक रजिस्टर का रखरखाव हेतु अपने अधीनस्थ कर्मियों को निदेश देने का कष्ट करें ताकि तिमाही रिपोर्ट में दिये गये ऑकडों में विसंगतियॉ न हों ।

अत: अनुरोध है कि अपने कार्यालयीन कार्यों की प्रकृति के अनुसार राजभाषा विषयक रजिस्टर तैयार करवायें एवं उस रजिस्टर में राजभाषा संबंधी पत्रों आदि की प्रविष्टियॉ करवाते हुए अद्यतन रखे जाने का निदेश दें ताकि हिंदी रिपोर्ट व राजभाषा विषयक निरीक्षणों के दौरान संबंधित अधिकारियों को सत्यता संबंधी ऑकड़ें दिखाने में सहायक सिद्ध हों ।

कृपया यह पत्र आपके सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

पवन कुमार

(सी.वी. पवन कुमार)
आयकर आयुक्त (मुख्या.) (प्रशा.)एवं कर.दा.से.
एवं (राजभाषा अधिकारी